>

Title: Issue regarding cooking by dalit cooks in mid-day-meal scheme in Uttar Pradesh.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत गम्भीर विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं इस सदन का ध्यान भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना "मिड डे मील" के अंतर्गत स्कूल्स में दलित रसोइयों के हाथों से बने भोजन का अन्य वर्ग के बच्चों द्वारा बहिष्कार किए जाने की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के मानक के द्वारा "मिड डे मील" पकाने के लिए रसोइयों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अप्रेल 2010 में किया गया और इसके तहत उनकी नियुक्तियां भी हो गई। जब दलित रसोइयों ने खाना पकाया तो अन्य वर्ग के लोगों ने विरोध किया और अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजना बंद कर दिया। महोबा, बुंदेलखंड से शुरू होकर कानपुर रमाबाई नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद जनपदों के अनेक स्कूल्स में इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। किसी और विकल्प पर ध्यान न देते हुए अपराध को मान्यता देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 22-7-2010 को इस बारे में आदेश जारी कर इस आरक्षण की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): यह बात सही नहीं है।...(व्यवधान)

इससे घृणा फैलाने वाले लोगों के हौंसले और बढ़ेंगे। यह अत्यंत गंभीर मामला है। ...(यवधान) उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हुई ये घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि छुआछूत की जिस लाश को कब्रिस्तान में दफन करने का हम सबने प्रयास किया, वह अब बदरंग कफन के साथ हमारे सामने आ गयी है। आखिर बच्चों को दी जा रही इस प्रकार की शिक्षा का क्या अर्थ है? क्या इस प्रकार के संस्कार और शिक्षा से हम देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं? इन हालातों में देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटकर, उसे विश्व शक्ति के रूप में विकसित करने का हमारा सपना केवल सपना रह जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था में छूआछूत को समाप्त करने, जातीयता के खिलाफ हुए आंदोलनों की जानकारी देने, समाज में समरसता कायम करने का अभियान चलाया जाना चाहिए तथा भविष्य में जातीयता को बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आवश्यक हो तो अलग से कानून बनाया जाए।